सेवा में,

खण्ड शिक्षा अधिकारी,

बेहटा–सीतापुर।

विषयः–कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी बेहटा द्वारा जारी पत्रॉकःबी0आर0सी0बेहटा / 255 / 2021 –22 दिनॉक 09.10.2021 स्पष्टीकरण के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि मै, नित्यानन्द, स0अ0 प्रा0वि0 दतूनी दिनॉक 08.10.2021 को विद्यालय में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित था, पूर्णतः असत्य एवं भ्रामक है। महोदय आप स्वयं अवगत है कि जनपद लखीमपुर काण्ड के कारण 06.10.2021 एवं 07.10.2021 को पूरे सीतापुर जनपद में नेटसेवा बाधित थी, ऐसे में आनलाइन अवकाश सीतापुर में रहने वाले किसी भी कार्मिक हेतु सम्भव ही नही था। दिनॉक 08.10.2021 को मुझे किसी पारिवारिक कार्यक्रम में सम्मिलित होना था जो मूझे पूर्व से अवगत था, अतः मेरे द्वारा दिनॉक 07.10.2021 को ही प्रधानाध्यापिका महोदया को आकस्मिक अवकाश का प्रार्थना पत्र देकर दिनॉक 08.10.2021 का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करा ली गयी थी जोकि 07.10.2021 को ही पत्र व्यवहार पंजिका में पत्रॉकः 442 / 07.10.2021 प्रधानाध्यापिका महोदया द्वारा अंकित भी कर दिया गया था, साथ ही यह भी अवगत कराना है कि प्रार्थी का इस वर्ष का यह दसवॉ (10) आकस्मिक अवकाश है। (संलग्नक 01 एवं 02)

अतः जिला मुख्यालय या लखनऊ या फैजाबाद में बैठकर अपने दलालो द्वारा दी गयी भ्रामक सूचना एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जारी किया गया स्पष्टीकरण पूर्णतः असत्य है। पूर्व में भी मानव सम्पदा पोर्टल कई–कई दिनों तक तकनीकी समस्या के कारण बाधित रहा है। मानव सम्पदा पोर्टल बाधित रहे या पूरे जनपद / प्रदेश में नेट की कनेक्टिविटी ही सरकार बन्द कर दे तो कोई भी कार्मिक आनलाइन अवकाश कैसे ले सकेगा, महोदय यह आप ही अवगत करा दें..........? पूर्व में मानव सम्पदा पोर्टल बाधित रहा तब भी प्रार्थी नित्यानन्द एवं अनगिनत अन्य साथियों ने भी पूर्व की भॉति आफलाइन आकस्मिक अवकाश लेकर उपभोग किया है। मानव सम्पदा पोर्टल नही चलेगा या पूरे जनपद या प्रदेश में नेट नही चलेगा तो क्या कार्मिक अवकाश पर नही जायेगा...........? किसी भी कार्मिक का निजी कार्य या बीमारी आपके मानव सम्पदा के चलने या नेट चलने के अनुसार न आयेगा।

महोदय आपके पत्र द्वारा द्वितीय आरोप लगाया गया कि मेरे फोन नम्बर पर सम्पर्क करने पर न ही मेरे द्वारा फोन उठाया गया न ही काल बैक की गई। उपरोक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि दिनॉक 08.10.2021 को कार्मिक ने निजी पारिवारिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु आकस्मिक अवकाश लिया था, उस दिन कार्मिक अपने निजी फोन पर बहुत कम समय ही रह सका, शेष उक्त फोन नम्बर मेरा निजी मोबाइल नम्बर है, वह विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया सी0यू0जी0 नम्बर नही है, उस फोन पर मेरे से ज्यादा अधिकार मेरी बेटी नितिमा अग्निहोत्री का है। प्रार्थी जब भी अवकाश पर रहता है (कभी–कभी जब विद्यालय जाता है तब भी) मोबाइल फोन मेरी बेटी के हाथों में यू–टयूब पर कार्टून आदि देखने हेतु रहता है। ऐसी

परिस्थितियों में पूर्व में भी, वर्तमान में भी, एवं भविष्य में भी प्रार्थी यह फोन एक बार में ही उठा लेगा, यह आश्वस्त नही कर सकता। महोदय आपसे निवेदन है कि आप मेरे फोन पर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये सी0यू0जी0 नम्बर से काल किया करें, प्रार्थी यथा सम्भव काल तुरन्त उठायेगा या जब प्रार्थी के हाथों में उसका फोन आयेगा तो काल बैक भी करेगा।

महोदय आपके पत्र द्वारा तृतीय आरोप लगाया गया कि मै अनुशासनहीनता और मनमाने व्यवहार को प्रदर्शित कर रहा हूँ, पूर्णतः पूर्वाग्रह एवं द्वेष भावना से ग्रसित है। महोदय आप द्वारा उक्त पत्र दिनॉक 09.10.2021 को जारी किया गया, जोकि स्वयं परिलक्षित करता है कि आप बी0आर0सी0 पर मनमाने तरीके से 7–8 सम्बद्व किये गये कार्मिको एवं विकासखण्ड में तैयार किये गये दो चार दलाल अध्यापकों के इशारे पर माह के द्वितीय शनिवार को स्पष्टीकरण पत्र जारी करते है, जिस दिन बी0आर0सी0 मुख्यालय पर माह के द्वितीय शनिवार का अवकाश होता रहा है। महोदय पत्रॉकः बी0आर0सी0बेहटा/255/2021–22 दिनॉक 09.10.2021 द्वारा मेरे को दो अलग–अलग भाषा शैली में दो पत्र जारी किये जाते है वो स्वयं में दर्शाता है कि आप दूसरे के इशारों पर भाषा शैली में बदलाव करके पत्र जारी कर रहे है। (संलग्नक 03 व 04)

महोदय आप द्वारा नियमों को ताक पर रखकर 7–8 कार्मिकों को ब्लाक संसाधन केन्द्र बेहटा पर अपनी दलाली हेतु सम्बद्व कर रखा है, वह मनमाना व्यवहार है।

महोदय आप द्वारा कुछ विद्यालयों का आफलाइन, कुछ का आनलाइन निरीक्षण कर आफलाइन निरीक्षण किये गये विद्यालयों से दलालों के माध्यम से 3000 रूपयें से लेकर 20000 रूपयें धन उगाही करना मनमाना व्यवहार है।

महोदय आप द्वारा विभाग को छोडकर चले गये कार्मिकों एवं एस0टी0एफ0 द्वारा फर्जी पाये गये अध्यापकों का जेल में रहते हुए वेतन आहरित कर देना मनमाना व्यवहार है।

महोदय आप द्वारा शिशु, शिक्षा एवं शिक्षकों के उत्थान को दर किनार कर विकासखण्ड में MST, RD चलाना (एकमुश्त अध्यापको से रूपयें मासिक लेना एवं घर बैठकर नौकरी करवाना) एवं विधायक जी, सांसद जी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सर, भा0ज0पा0 पदाधिकारी के करीबी कहकर उनको संरक्षण देना मनमाना व्यवहार है।

महोदय आप द्वारा विद्यालय निरीक्षण आनलाइन की जगह आफलाइन निरीक्षण कर तदोपरान्त दलालों के माध्यम से उत्कोच लेकर सम्बन्धित अध्यापकों द्वारा अपने नीले पेन से लिखे A पर हस्ताक्षर करा देना या अध्यापक उपस्थित पंजिका का पेज ही फडवा देना, बी0आर0सी0 बेहटा कार्यालय पर विकासखण्ड के परिषदीय विद्यालयों में नामांकित बच्चो के आधार निर्माण/सुद्विकरण में रूचि न लेकर सामान्य जनमानस के आधार उत्कोच लेकर बनवाने में रूचि लेना एवं ऐसे कृत्यों को संरक्षण देना मनमाना व्यवहार है।

महोदय एक महिला अध्यापिका द्वारा आपसे मिलकर अपना पक्ष आपके समक्ष रखना तदोपरान्त उसका फोन Black List में डाल देना एवं उक्त उभय पक्ष को अपने सम्मुख विवाद समाप्त करने हेतु वार्तालाप हेतु भी न बुलाना मनमाना व्यवहार है।

महोदय किसी विद्यालय का 01 जुलाई से 10 अक्टूबर 2021 तक आनलाइन/आफलाइन मिलाकर 05 बार से भी अधिक बार निरीक्षण करना और किसी विद्यालय को अपने कार्यकाल में

एक बार भी निरीक्षण न करना एवं इस कृत्य को अपना विशेषाधिकारी बताना मनमाना व्यवहार है।

किसी संकुल के एक विद्यालय का निरीक्षण करना एवं उसी संकुल के उसी रास्ते पर पडने वाले अन्य विद्यालय के गेट के बाहर से निकलते चले जाना जहाॅ आप द्वारा MST, RD चलायी जा रही है एवं इस कृत्य को अपना विशेषाधिकार बताना, मनमाना व्यवहार है।

एक विशेष तरीके से बैठने का ढंग अपनाना एवं उसी ढंग को जब कार्मिक अपनाये तो उसको अनुशासनहीनता बताते हुए कहना आयोग से सेलेक्ट होकर आओं आपके दम्भ एवं मनमाने व्यवहार को परिलक्षित करता है।

आपके उपरोक्त कृत्यों का आपसे मिलकर आपके सम्मुख विरोध करना यदि अनुशसनहीनता है, तो हाॅ मैने अनुशसनहीनता की है, और आगे भी उच्चाधिकारियों को सूचित कर इस तरह की अनुशासनहीनता करना रहूॅगा।

सधन्यवाद।

दिनाॅक–16.10.2021

नित्यानन्द
सहायक अध्यापक
प्रा0वि0 दतूनी
बेहटा–सीतापुर

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद–सीतापुर।
2. जिलाध्यक्ष / जिलामन्त्री, उ0प्र0प्रा0शि0सं0 जनपद सीतापुर।
3. संयोजक / सहसंयोजक उ0प्र0प्रा0शि0सं0 इकाई बेहटा शाखा सीतापुर।

नित्यानन्द
सहायक अध्यापक
प्रा0वि0 दतूनी
बेहटा–सीतापुर

संलग्नक ①

सेवा में,

खण्ड शिक्षा अधिकारी

वि० क्षे० बेहटा-सीतापुर

महोदय,

प्रार्थी, नित्यानन्द, स० अ० प्रा० वि० दतूनी निजी कार्य हेतु कल दिनांक 08/10/2021 को विद्यालय आने में असमर्थ है। जनपद सीतापुर में कोई भी नेट नहीं चल रहा है। अत: Online अवकाश लेना सम्भव नहीं है।

अत: प्रार्थी को दिनांक 08/10/2021 का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें।

दिनांक
07/10/2021

स्वीकृत

ममता मिश्रा
07/10/2021

प्रधानाध्यापक
प्राथमिक विद्यालय दतूनी
वि०ख० बेहटा – सीतापुर

(हस्ताक्षर)

नित्यानन्द

स० अ०

प्रा० वि० दतूनी

बेहटा-सीतापुर

संलग्नक (2)

पत्र-व्यवहार पंजिका

नाम संस्था P.S. Dalmi Behta Sitapur
Name of Institution

Correspondence Register

वर्ष 2021
Year

दिनांक Date	प्राप्त पत्र का क्रमांक S.No of Letter Received	प्रेषित पत्र का क्रमांक S.No of Letter despatched	पत्र संख्या तथा दिनांक No & Date of Letter	नाम तथा पता Name & Address	विषय का संक्षिप्त विवरण Subject with briel details	फाइल शीर्षक तथा सं० File Head & & No.	टिकटों का लेखा Account of Stamp: प्रारम्भिक शेष Balance B.F Rs	P.	खरीदे गये Purchased Rs	P.	प्रयुक्त Used Rs.	P.	योग Total Rs.	P.	अन्तिम शेष Balance C.F. Rs.	P.	टिप्पणी Remarks
२७/10/2021		442		सेवा में,													

सेवा में,

श्रीमान् खण्ड शिक्षा अधिकारी
बेहटा सीतापुर

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 28/10/2021 को नित्यानन्द स०अ० आकस्मिक अवकाश पर रहेंगे चूंकि इन्टरनेट सुविधा बाधित है अतः मानव सम्पदा पोर्टल पर अवकाश लेना सम्भव नहीं अतः रिफरेंस No. प्राप्त नहीं हो सका।

सादर सूचनार्थ प्रेषित

ममता मिश्रा
प्र०अ०

सलग्नक ③

कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी–बेहटा, सीतापुर

पत्रॉक:बी0आर0सी0बेहटा / 255 / 2021–22 दिनॉक: 9/10/21

स्पष्टीकरण

श्री नित्यानन्द अग्निहोत्री स0 अ0
प्रा0 वि0 दतूनी
बेहटा ,जनपद–सीतपुर

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनॉक 08.10.2021 को फोन काल के माध्यम से विद्यालय में सम्पर्क करने पर पता चला कि आप विद्यालय में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित हैं । आप को फोन नम्बर पर सम्पर्क करने पर न ही आप के द्वारा फोन उठाया गया न ही काल बैक करके अपनी अनुपस्थिति के बारे में अवगत कराया गया जो कि आपके अनुशासनहीनता और मनमाने व्यवहार को प्रदशित करता है । अतः आपको निर्देशित किया जाता है उक्त के सन्दर्भ अपना सन्तोषजनक स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दिनांक 12–10–21 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

स्पष्टीकरण समयान्तर्गत एवं सुस्पष्ट न होने की दशा में अग्रिम कार्यवाही की जांयेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।

ह0 9/10/21
खण्ड शिक्षा अधिकारी
वि0 क्षे0–बेंहटा

सलग्नक (4)

कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, बेहटा, सीतापुर।

पत्रांकः– बी0आर0सी0, बेहटा/ 255 /2021–22 दिनाँकः 09.10-2021

स्पष्टीकरण

श्री नित्यानन्द, (स0अ0)
प्रा0वि0 दतूनी,
विकासक्षेत्र–बेहटा, सीतापुर।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनॉक 08.10.2021 को फोन काल के माध्यम से विद्यालय में सम्पर्क करने पर पता चला कि, आप विद्यालय में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित है। आपके फोन नम्बर पर सम्पर्क करने पर न ही आप के द्वारा फोन उठाया गया न ही काल बैक करके अपनी अनुपस्थिति के बारे में अवगत कराया गया, जोकि आपकी अनुशासनहीनता और मनमाने व्यवहार को प्रदर्शित करता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 03 दिवस में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, स्पष्टीकरण समयान्तर्गत एवं सुस्पष्ट न होने की दशा में अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को सूचित कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

9/10/21

(यशवन्त सिंह)
खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र–बेहटा, सीतापुर